

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 17.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर (सदस्य)
- 2-प्रभागीय निदेशक एवं वनीकी प्रभाग सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य। (सदस्य)
- 3-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 4-जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 5-जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 7-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सहारनपुर। (सदस्य)
- 8-अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर सहारनपुर। (सदस्य)
- 9-अधिशाली अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेज/सिंचाई सहारनपुर। (सदस्य)
- 10-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सहारनपुर। (सदस्य)

बिन्दु संख्या 1:-

डी०पी०आर० विरचन:-

श्री अमित कुमार, अधिशाली अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2), शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 (पताका-3) एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 (पताका-4) द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स एवं के अनुसार 50 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 (पताका-2) नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है।

















डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही पूर्व में निर्गत गाईड लाईन एवं SLSSC कार्यवृत्त में संशोधित गाईड लाईन के निम्नानुसार की गयी है।

- 1-Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Population Projection method के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये, जिसमें वर्तमान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के कार्यवृत्त के अनुसार जनसंख्यावृद्धि अधिकतम 60 प्रतिशत ली जाये।
- 2- मध्य वर्ष (2037) के आधार पर वाटर डिमान्ड की गणना करते हुए नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन किया जाये।
- 3-अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (2037) पर Draw off/ Mass balancing के पैटर्न पर की जाये।
- 4-सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 घंटा लिया जाये।
- 5-वितरण प्रणाली में न्यूनतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास 63 एमएम एवं अधिकतम एच0डी0पी0ई0 पाइप का व्यास 200 एमएम लिया जाये। 200 एमएम व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाइप का प्रयोग किया जाये।
- 6-वितरण प्रणाली की लागत 15 लाख प्रति कि0मी0 के आधार पर ली जाये।
- 7-वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।
- 8-वाटर डिमाण्ड की गणना (55 LPCD+15% unaccounted water) के आधार पर की जाये।
- 9-रोड कटिंग की पुर्नस्थापना की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम ली जाये।
- 10-पम्पिंग हैड की अधिकतम सीमा 60 मी0 ली जाये।
- 11-योजनाओं में एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) की प्रति FHTC लागत 35000, एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) जिनमें Multi Habitation है की प्रति FHTC लागत 55000, ग्राम समूह योजनाएँ (MVS) की प्रति FHTC लागत 65000 एवं घाड क्षेत्रों की योजनाओं में प्रति FHTC लागत 75000 ली जाये।
- 12- प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 ली जाये।
- 13-टयूबवैल की अधिकतम लागत रू0 25.00 लाख ली जाये।

वर्तमान में प्राप्त 50 नग विस्तृत प्राक्कलन रू0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त 50 नग विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सहारनपुर द्वारा प्रदान की जानी है, तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है।

50 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका-5) के अनुसार है।

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागत:-

Sl. No.	Block	Name of SCHEME	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh)	Per Capita Cost Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GANGOH	BANDA HERI	2	361	211.11	22.36	233.47	6979

2	SARSAWA	MAJRI KALAN	2	378	236.093	25.01	261.103	6883
3	GANGO	BALU	1	848	289.974	30.7115	320.6855	6041
4	PUNWARKA	PALI MUST	1	791	276.152	29.253	305.405	6437
5	NAGAL	JAULA DINDAULI	1	559	195.34	20.69	216.03	4457
6	SARSAWA	TELIPURA	2	361	209.201	22.161	231.362	6997
7	PUNWARKA	SAMBALKI GUZZAR	2	592	306.822	32.502	339.324	6613
8	GANGO	MANPUR AHT & PAKHANPUR	4	691	416.076	44.076	460.152	6923
9	PUNWARKA	LAKHNAUTI KALAN	2	443	259.289	27.467	286.756	6859
10	NANAUTA	SIZOOD	1	590	203.928	21.603	225.531	6198
11	NAGAL	RANMALPUR & SARKADI	2	401	197.74	20.95	218.69	6285
12	NANAUTA	BABUPURA	2	507	293.341	31.074	324.415	6322
13	MUZAFFARABAD	ALAMPUR KALAN	2	390	212.207	22.48	234.687	6958
14	MUZAFFARABAD	ALHERI & SAMBHALEDI	2	626	316.411	33.518	349.929	5354
15	SAUDHOLI KADEEM	ASGARPUR MUST.	1	545	249.355	26.415	275.77	6427
16	MUZAFFARABAD	BHATPUR	1	750	261.906	27.744	289.65	5669
17	MUZAFFARABAD	CHANDI & BHAKROAD	2	455	254.197	26.928	281.125	6707
18	MUZAFFARABAD	FARAKPUR NAWADA	2	622	296.489	31.408	327.897	5680
19	MUZAFFARABAD	HALWANA MUST.	2	507	233.578	24.743	258.321	6470
20	MUZAFFARABAD	KHURAMPUR	1	754	263.431	27.906	291.337	6553
21	MUZAFFARABAD	MOHDPUR KANDELA & SHEKPUR KANDELA	2	374	217.468	23.037	240.505	6955
22	MUZAFFARABAD	MURADNAGAR ALIS ZIWALA AHT.	1	631	219.82	23.286	243.106	5724
23	MUZAFFARABAD	MUSALI & MIRZAPUR PUZNEKI	2	814	362.922	38.445	401.367	4769

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

24	MUZAFFARABAD	PANSAR & BHOJEWALA	2	910	371.761	39.381	411.142	4495
25	SAUDHOLI KADEEM	SHAHPUR GARHA	1	735	256.995	27.224	284.219	5881
26	NAGAL	SHIVPUR	1	514	228.39	24.19	252.58	6620
27	SARSAWAN	SONDHE BANS	1	518	251.67	26.66	278.33	6116
28	RAMPUR MANIHARAN	DAKRAWAR KALAN	3	525	261.851	27.738	289.589	6235
29	SAUDHOLI KADEEM	DOHLRA	2	336	203.525	21.56	225.085	6994
30	RAMPUR MANIHARAN	BUDDHA KHERA	1	483	163.64	17.34	180.98	5604
31	SARSAWAN	DAULATPUR & DABEHRA MALKI	2	834	320.1	33.91	354.01	6045
32	SARSAWAN	GUMTI	1	458	158.31	16.77	175.08	4834
33	NAKUR	KAZI BANS	1	441	151.03	16	167.03	5051
34	NAKUR	SHAHABUDDINPUR GAZZIWALA	1	261	128.6	13.62	142.22	6970
35	SAUDHOLI KADEEM	ISMAILPUR & AMBEHTA	3	548	247.815	26.252	274.067	5790
36	SAUDHOLI KADEEM	NADRANA & ISHAQPUR	3	606	324.997	34.428	359.425	6238
37	RAMPUR MANIHARAN	NAURANGPUR	2	335	166.099	17.595	183.694	6979
38	SAUDHOLI KADEEM	RANGLA HATHOLI	2	416	239.036	25.322	264.358	6969
39	NAKUR	MANDHAUR MUST.	2	473	263.597	27.923	291.52	6955
40	GANGOHI	HAZIPUR	1	228	147.729	15.649	163.378	6871
41	RAMPUR MANIHARAN	JAGRAULI	1	280	148.006	15.679	163.685	6821
42	RAMPUR MANIHARAN	TURMAT KHERI	1	392	152.874	16.194	169.068	6091
43	PUNWARKA	LUNDHALI	1	256	136.561	14.466	151.027	6862
44	DEOBAND	MATAULI	1	292	143.82	15.24	159.06	5651
45	NAGAL	MANOHARPUR	1	294	143.33	15.18	158.21	6732

46	SARSAWA	HUSAINPUR	1	370	178.85	18.95	197.80	6661
47	NAKUR	JALALPUR	1	426	145.13	15.37	160.50	5723
48	SARSAWA	FIROZABAD	2	236	147.68	15.64	163.32	6996
49	SARSAWA	BUDHERA	1	462	159.43	16.89	176.32	5423
50	SARSAWA	KUNDA	1	385	191.1	20.24	211.34	6235
		TOTAL	80	25004	11414.77	1209.17	12623.95	

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0) द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
2	सहारनपुर	फेज-3	50	80
	कुल		50	80

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ट्यूबवैल छिद्रण की RC/DC पद्धति हेतु दरें स्वीकृत हैं, परन्तु घाड क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर 60 मी0 पर पाये जाने एवं मिक्स स्ट्रेटा होने के कारण ट्यूबवैल छिद्रण Percussion Rig Machine पद्धति द्वारा किया जाना है, जिसकी स्वीकृत दरें अधिक होने के कारण

ट्यूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक आती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं में अधिष्ठापित किये गये नलकूपों की गहराई 150 मी0 से अधिक ली गयी है, जिस कारण से हैड 50 मी0 से अधिक आता है। प्रस्तुत 50 नग डी0पी0आर0 में 18 नग डी0पी0आर0 में ट्यूबवैल की लागत 25 लाख से अधिक है, जिसका सत्यापन फर्म द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ से कराते हुए प्रमाण पत्र प्राक्कलन में लगाया गया है। उक्त 18 नग डी0पी0आर0 जिनकी लागत रू0 25.00 लाख से अधिक है को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है।

18 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 जिनमें वास्तविकता एवं कार्य स्थल के अनुसार टयूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है।

25 लाख से अधिक लागत के टयूबवैल :-

फर्म- मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

S. No.	Name of Scheme	Cost of T.W. (in Lacs)
1	2	3
1	ALAMPUR KALAN	42
2	ALHERI & SAMBHALEDI	46
3	ASGARPUR MUST.	46
4	BHATPUR	42
5	CHANDI & BHAKROAD	46
6	FARAKPUR NAWADA	46
7	HALWANA MUST.	46
8	KHURAMPUR	42
9	MOHDPUR KANDELA & SHEKPUR KANDELA	46
10	MURADNAGAR ALIS ZIWALA AHT.	46
11	MUSALI & MIRZAPUR PUZNEKI	46
12	PANSAR & BHOJEWALA	46
13	SHAHPUR GARHA	46
14	DOHLRA	35
15	DAULATPUR & DABEHRA MALKI	36
16	ISMAILPUR & AMBEHTA	46
17	NADRANA & ISHAQPUR	46
18	RANGLA HATHOLI	42

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा 50 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति / संस्तुति एवं सम्मिलित 18 नग योजनाएँ जिनकी टयूबवैल की लागत रू0 25.00 लाख से अधिक है को अग्रसारित करने हेतु सहमति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

जिला विकास अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वनीकी प्रभाग सहारनपुर
या नामित सदस्य
(सदस्य)

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिकासी अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेज / सिंचाई, सहारनपुर
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

जिला कृषि अधिकारी,
सहारनपुर
(सदस्य)

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग,
सहारनपुर
(सदस्य)

अधिकासी अभियन्ता
ग्राउण्ड वाटर / नामित सदस्य
सहारनपुर
(सदस्य)

(अमित कुमार)
अधिकासी अभियन्ता / (सदस्य सचिव)
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
सहारनपुर

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी / (अध्यक्ष)
“जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन”
समिति, सहारनपुर

(विजय कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर
(सदस्य)